

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष, 2025-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अरविन्द शर्मा

2. वर्तमान धारित पद - प्रमुख सचिव

3. वर्तमान वेतन - 1,87,700/-

4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख - जुलाई, 2026

उक्त जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया, ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिसके अर्जित की गई हों, उसका नाम तथा बयौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, द्वारका, ए-702, नीलांचल अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं.3, सेक्टर-4, पिन-110075	फ्लेट (आवासीय फ्लेट)		85,00,000/-	हाँ (स्वयं)	बंधक। आरती मोंगा, निवासी ए-702, नीलांचल अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर-5 दिनांक: 27.03.2017	Nil	LSS पीएफ संख्या 141- आर(7)/एएन-आई.2017 दिनांक 19 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अंतर्गत खरीदा गया।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलावा जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :

नाम : अरविन्द शर्मा

पद : प्रमुख सचिव

316/221/26

30/01/26

02



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भगवतसिंह सिंह परखरे 2. वर्तमान धारित पद अपर सनिवर
3. वर्तमान वेतन 169200/- डी-ए-ए अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम <u>भगवतसिंह</u> जिला <u>भोपाल</u> तहसील <u>भोपाल</u> 2. अध्यात्मनगर भोपाल (मि. 2)	<u>पैत्रिक</u> <u>एवं जमीन</u>	<u>12.88 एकड़</u> <u>पैत्रिक संयुक्त</u> <u>जमीन</u>	<u>40 लाख</u> <u>लगभग</u>		<u>1. स्वयं</u> <u>2. स्व. श्रीमती बेनिया</u> <u>बाई-माँ</u> <u>3. श्रीमती जमुनी बाई</u> <u>वहन</u>	<u>निरंक</u>	<u>संयुक्त</u> <u>पुर्जा</u> <u>सम्पत्ति</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम भगवतसिंह सिंह परखरेपद अपर सनिवर

285/स्था/26

30/01/26

03



फार्म

(31.12.2025 की स्थिति में)

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - वीरेन्द्र कुमार, म.प्र. विधान सभा. 2. वर्तमान धारित पद - अपर सचिव2. वर्तमान वेतन रुपये 1,74,300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख- दिनांक 31/01/2026 को सेवानिवृत्त

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल	ए-6, बैकटेश नगर, ई-8 गुलमोहर कॉलोनी 223.12 sqm		लगभग रुपये एक करोड़ पचास लाख	---	capital gain Account एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेकर	3,84,000/-	---
2. भोपाल	LIG-36-2 बी, साकेत नगर 232.34 sqm	---	लगभग रुपये 80 लाख	80% श्रीमती सुरेखा (पत्नी)	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त कर ऋण.	40,000/-	---
3. ग्राम-अरेर, लक्ष्मीपुर जिला - मधुबनी	भवन	3 बीघा	---	पिताजी के नाम से अभी बैंटवारा नहीं.	विरासत में	---	---

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर

नाम -

पद

विभाग -

133

वीरेन्द्र कुमार

अपर सचिव

मध्य प्रदेश विधान सभा

30/1/2026

अपर सचिव

198
22/1/26

05



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मंजू गजमिण 2. वर्तमान धारित पद विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
3. वर्तमान वेतन 1,17,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. गौरी ग्रह निवास, ग्राम-खम्वीड़िया, भोपाल	30X50=1500	भूखण्ड	-	स्वयं के नाम पर	सोसायटी से अनुमति प्राप्त एवं तत्समय आय का स्रोत बताकर	-	सोसायटी डिस्पूट होने से आद्यपत्य अभाव
2. तिरुपाति धाम, ग्राम-सेमरी, फंदा हजूर, भोपाल	25X40=1000	भूखण्ड	बजार मूल्य पर	स्वयं के नाम पर	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन प्राप्त कर लिया	-	सोसायटी से अनुमति लेकर तथा आय का स्रोत बताकर
3. बाबाजी धाम, ग्राम-कलखेड़ी, फंदा, हजूर, भोपाल	25X40=1000	भूखण्ड	=	स्वयं के नाम पर	स्वयं के वेतन वचत से	-	- do -
4. अयोध्या धाम, ग्राम-कलखेड़ी, फंदा, हजूर, भोपाल	30X50=1500	भूखण्ड	=	स्वयं एवं अपनी बहन के नाम से संयुक्त रूप से	म.उ. अवेक्स बैंक से लोन लेकर	-	- do -

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

(मंजू गजमिण)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
(उप सचिव)

273/स्था/26
30/01/26

07



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025-2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ए.सी. डी. गौतम 2. वर्तमान धारित पद सिपाई (पुल) प्रभार
3. वर्तमान वेतन 95900 + डिपेंडेंसी अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 फरवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>अज्ञात</u>			

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 30/1/26
नाम ए.सी. डी. गौतम
पद सिपाई (पुल) प्रभार

402
24/3/26

09



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमण लाल मनवान 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 5900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/8/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला भोपाल तहसील डुंगर ग्राम कोरवा बेसगाढ़, भोपाल पट्टावादी 65003 नं. 23	मकान	-	वर्तमान बजार दर अनुसार		भविष्य भिन्नि खाना एवं यह से सह कर जाय कर महान मिति करायी गया	मिरर	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर N. J. Mann
नाम रमण लाल मनवान
पद अवर सचिव

74
16/11/26

10



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेंद्र वर्मा 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन Rs 72200 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम खुस्वनी विश्वं. फन्दा तहसील हुजूर जिला ओपाल	—	30x50=1500 कफ़ीट प्लॉट नं० 113	2.15 लाख	क्षीमती मंजुक्षी वर्मा (पत्नी)	पूर्व का फ्लैट विक्रय करके (रु० 4.50 लाख) शेष स्वयं की वसूली से		
② ग्राम नाथू बरखेरा विश्वं. फन्दा तहसील हुजूर जिला ओपाल	—	25x35=875 कफ़ीट प्लॉट नं० 636	3.00 लाख	स्वयं	—		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजेंद्र वर्मा

नाम राजेंद्र वर्मा

पद अवर सचिव

310/स्था/26
30/01/26

11



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेश कुमार मिश्रा 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 75,400 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निर्दिष्ट			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर N. K.
नाम नरेश कुमार मिश्रा
पद अधीनस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासकीय सेवक

12



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

3. वर्तमान वेतन रु. 1,10,500 + डी.ए. + अ.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2027

प्रमाण २ सिरे

हरीश कुमार श्रीवास
प्रशासकीय अधिकारी (अ.स.)
मध्य प्रदेश विधान सभा

280/स्थ/26

30/01/26

13



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविन्द्र नाथ इवे 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव (फर)
3. वर्तमान वेतन 84,900 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रविन्द्र नाथ इवे पेट-1, 258 बाराही, बल, भारतिया बार्ड 3.52, 28200 दुधर, निवास- महेन्द्र (म-5)	-	195.09 अर्जित	लगाभत 5000000000 (फर लगा 2225)	पत्नी श्रीमती रविन्द्र इवे से नाम पर	पूर्व में 14 A, हैब-स लगा 3, 20000 फर में अर्जित 2020 11/6/18 अर्जित, नगर-निवास बार्ड-85 महेन्द्र में 11, 25000000 में अर्जित अर्जित 2020 से 12, 13000000 में अर्जित 2021	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम Ravindran Nath Iyengarपद Under Secretary

फार्म

387
17/3/26

14



प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो: माधव दफ्तरी 2. वर्तमान धारित पद : अवर सचिव(प्रभार)
3. वर्तमान वेतन रुपये 60,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2026.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम था ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कटारा ग्राम भोपाल	फ्लैट नम्बर P-5/404 प्राईड सिटी कटारा हिल्स भोपाल	निरंक	रु.20,00,000/- अनुमानित	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती संचिता दफ्तरी के संयुक्त नाम पर	विभाग से अनुमति प्राप्त कर स्वयं एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में गृह ऋण प्राप्त कर, स्वयं के सामान्य भविष्य निधि खाते से राशि आहरण कर एवं स्वयं एवं पत्नी की बचत राशि से क्रय	रु.54,000/- वार्षिक	

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम, 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 
17/03/2026

नाम : माधव दफ्तरी

पद : अवर सचिव(प्रभार)

184
22/1/26

(31.12.2025 till (m-h))

16



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्याम कुमार उरासी 2. वर्तमान धारित पद प्रवर श्रेणी जा 2 वरक
3. वर्तमान वेतन 164300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① बौरागाव - (मोपार)	मकान 216 बौरागाव - (मोपार)	- NA -	7075 मूल्य कृष्णाक्षर	(स्वयं के नाम पर)	(पूवर्तिका)	- NIL -	
② बौरागाव - (मोपार)	मकान मू A-21/246 बौरागाव -	- NA -	2075 मूल्य कृष्णाक्षर	(स्वयं के नाम पर)	(पूवर्तिका)	- NIL -	
③ मुंदकाली (बौरागाव) - (मोपार)	- NA -	21005	-	पानी के नाम पर	(जानकारी पूवर्तिका)	- NIL -	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

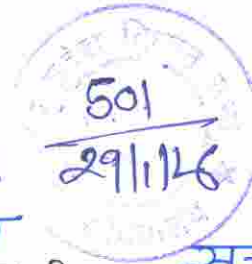
हस्ताक्षर

नाम श्याम कुमार उरासीपद प्रवर श्रेणी जा 2 वरक

244/251/26
29/01/26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026



17

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महावीर सिंह
म.प्र. विधान सभा सचिवालय सेवा 2. वर्तमान धारित पद सूचना अधिकारी
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विवाह वर्ष में दिये गये विवाह अनुषंग कोई परिवर्तन नहीं							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 29.1.26
नाम महावीर सिंह
पद सूचना अधिकारी

395
18/3/26

18

18/3/26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेंद्र तिवारी 2. वर्तमान धारित पद सहायक यंत्री
3. वर्तमान वेतन 168000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/4/26

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतनाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>पूरा न बार</u>						

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम देवेंद्र तिवारी
पद सहायक यंत्री

125
19/11/26

19



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रिमझिम मोघिया, विधान सभा क्षेत्रपालिका 2. वर्तमान धारित पद प्रवर श्रेणी प्रतिवेदक

3. वर्तमान वेतन 161370/मं.डी. १० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१ जुलाई २०२६

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शौपाल खजुरीकुला निर्मल नगर	भवन	-	लगभग 40 लाख रुपये	पति के साथ संयुक्त रूप से	प्लॉट खरीदकर बिस्तर द्वारा निर्माण कराया गया. जी. पी. एफ. पार्स फाइवला तथा अन्य से अर्जित किया	MIL	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर रिमझिम मोघिया
नाम रिमझिम मोघिया
पद प्रवर श्रेणी प्रतिवेदक
म.प्र. विधान सभा

(31.12.2025 की स्थिति में)

फार्म
*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025**

(21)



1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय चौरे, विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद कार्यवाही संपादक

3. वर्तमान वेतन- बेसिक पे ₹. 1,64,300 + अन्य भत्ते

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कोलार रोड भोपाल	ऑर्चर्ड स्क्वेयर में फ्लैट क्रमांक BR-7	-	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	मेरे व श्रीमती रक्षा चौरे (पत्नी) के संयुक्त नाम पर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स भोपाल से ऋण लेकर स्वदेश डेवलपर्स एवं कॉलोनाइजर्स से क्रय किया	निरंक	
2. जिला भोपाल तहसील हुजूर रचना नगर	रचना टावर्स में फ्लैट क्रमांक JR.MIG-01/404	-	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	अजय चौरे (स्वयं)	स्वयं की बचत से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल से क्रय किया गया	निरंक	स्वयं के निवास हेतु उपयोग

* जहां लागू न हो काट दीजिए.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें.


13-1-26

हस्ताक्षर

नाम- अजय चौरे

पद- कार्यवाही संपादक,

म.प्र. विधान सभा

246/अध/26
29/02/26

22



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमित कुमार अग्रवा 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 67300-206900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	पूर्वानुसार	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 29/1/26
नाम अमित कुमार अग्रवा
पद अवर सचिव म.प्र. विधानसभा

245/24/126
29/01/26



23

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अर्चना सिंह यादव 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 6.7300 - 2.06900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख (जनवरी) 2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				पूरा निस्तार			

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम अर्चना सिंह यादव
पद अवर सचिव (मं.पं. विधानसभा)

312/224/26

30/01/26

24



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनोद कुमार दुबे 2. वर्तमान धारित पद डी० ए०
3. वर्तमान वेतन रुपये 101200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			रु	की	सार		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

विनोद कुमार दुबे
डी० ए०

287/स्था/26

30/01/26

25

फार्म

(31.12.2025 की स्थिति में)

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2024



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - रूपेश सिंह, विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद - स्टाफ ऑफिसर

2. वर्तमान वेतन 101200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल, बावडियाकलां, रोहित नगर गृह निर्माण समिति	मकान- 177 रोहित नगर फेस-1 गुलमोहर नगर के आगे, भोपाल	1500 वर्गफीट	बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं का मकान	रोहित नगर गृह निर्माण समिति के माध्यम से अर्जित किया गया।	—	भवन निर्माण हेतु S.B.I. पंचानन भवन, न्यू मार्केट की शाखा से रुपये 11 लाख का ऋण लिया गया है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली थी उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे व बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम -

पद

विभाग -

Page 84
29/01/26

रूपेश सिंह

स्टाफ ऑफिसर

मध्य प्रदेश विधान सभा

(रूपेश सिंह)
स्टाफ ऑफिसर

(29 जनवरी, 2026 को डिस्पेच शाखा को प्रेषित)

196
22/11/26

26



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेंद्र प्रसाद खिंदी 2. वर्तमान धारित पद अनुसंधान अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 68500 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राज-पोस्ट मन्दावा जिला मन्दावा (ज.प्र.)	रहायसी भूखण्ड	कृषि योग्य भूमि 0.8 एकड़ लगभग	25 लाख रुपये लगभग	स्वयं	पुस्तानी	200000-600 (दो लाख) लगभग	
मन्दावा नगर मन्दावा (ज.प्र.)	रहायसी भूखण्ड 30X65 फीट		30 लाख रुपये लगभग	स्वयं	पुस्तानी		
राज-सन्तोषी कालिंदी पैदावाड़ा कोलार जेड मोपाला	D-12 कालिंदी पैदावाड़ा मे 35X55 फुट का रहायसी भूखण्ड		30 लाख रुपये लगभग	स्वयं	वर्ष 2008 (अक्टूबर) में अपने दादा के लोन से जी.सी.ए. कारा श्री अनी आभिता श्रीमल्ल पावस हेरिटेज, मोपाला (अ.प्र.)		

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर CRD 22.01.2026
नाम राजेंद्र प्रसाद खिंदी
पद अनुसंधान अधिकारी

193
22/1/26

27



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विष्णु प्रताप सिंह, म.प्र. विधान सभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद अनुसंधान अधिकारी (पुस्तक)

3. वर्तमान वेतन 68500+D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर विष्णु प्रताप सिंह 22/01/2026
 नाम विष्णु प्रताप सिंह
 पद अनुसंधान अधिकारी (पुस्तक)